अनुसूची 21 - प्रपत्र सं० 113

पत्रांक :- 129/दिनांक :- 26/4/2025

संपत्ति-अबभार - प्रमाण-पत्र

माणक सं० 49/2025 आवेदन सं० 1865/5.4.2025

चूँकि श्री Sri NAREN KUMAR MODI S/o Late Kisto Chandra Modi ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अबभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अबभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमनियों में ता० 3/4/2013 20 से ता० 3/4/2025 20 क तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चला :- जाही

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza Tokipur No 19 Touzi No 552 J.B. No 24 Plot No 353 Area - 19998 Dec	16/8/10 7/1/2011 6/5/16	Sale Deed	Bakshish Hussain Khan	Moreshwar Modi	23 1 14	2010 2011 2016	187 212 313/332 345/380

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 बंधक-पत्र की दशा में,ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बस कि इनके बारे में उल्लेख हो :

2 पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अबभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले अन्य संव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- जितेन्द्र कुमार

(पदनाम) :- दस्तावेज नवीस, दुमका

तालाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- प्र० लि०

कार्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय दुमका

तारीख :- 17/4/25

जिला अवर निबंधक मुहर दुमका

जिला अवर निबंधक
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
दुमका
17/4/25

टिप्पणी (1) इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उसकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिदिष्ट संपत्तियों के अबभारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमनियों उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वये तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने आपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूढें गये संव्यवहारों और अबभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूढें गये ऐसे संव्यवहारों और अबभारो की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

अनुक्रमणी II की तलाशी मैंने आवेदक की ओर से दि० 3/4/2013 से 3/4/2025 तक किया किसी तरह का स्थान भार का पता नहीं चला

जितेन्द्र कुमार
दस्तावेज नवीस
दुमका

पत्रांक :- 128 / दिनांक :- 26/4/2025

प्रपत्र सं० 113

संपत्ति-अबभार - प्रमाण-पत्र

क सं० 48/ 2025 आवेदन सं० 1864/5-4-2025

चूँकि श्री Noren Kumar Modi S/o Keshto Chandra Modi ने मेरे पास आवेदन किया कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अबमारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करनेवाले संव्यवहारों और अबमारों के बारे में बही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमनियों में ता० 3/4/2013 20 से ता० 3/4/2025 20 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबमारों का पता चला :- नहीं

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज का प्रतिलिपि के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द संख्या	वर्ष	पृ०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Tokipur Khata No 24 Plot N 353 Area 66.66 Decimal	7/11/2011 20/5/15	Sale Deed "	Bakhshish Hussain Khan Do	Tantika B. Ed College Tokipur Ranishwar Noren Kumar Modi	1 7	2011 2015	333/352 15/30

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1 बंधक-पत्र की दशा में,ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बस कि इनके बारे में उल्लेख हो :

2 पट्टे की दशा में पट की अवधि और लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अबभारों को छोड़, उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अबभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :-

(हस्ताक्षर) :- जितेन्द्र कुमार

(पदनाम) :- कार्यालय नाजिर दुमका

तालाशी की सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

(हस्ताक्षर) :-

(पदनाम) :- प्र० लि०

कार्यालय जिला अवर निबंधन कार्यालय दुमका

तारीख :- 17/4/25

जिला अवर निबंधक दुमका

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

जिला अवर निबंधक दुमका

टिप्पणी (1) इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अबभार दिखाये गयें हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों का निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसा दस्तावेजों में प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(2) निबन्धन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो, अथवा जो उसकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिदिष्ट संपत्तियों के अबभारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। बिहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमनियों उनके सामने रख दी जायगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वये तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपने भरकस सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने आपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूंढ़े गये संव्यवहारों और अबभारों का सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूंढ़े गये ऐसे संव्यवहारों और अबभारो की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो। अनुक्रमणी II की तलाशी मैंने आवेदक की ओर से सन 3/4/2013 से 3/4/2025 किया किसी तरह का क्रय-विक्रय का पता नहीं चला

जितेन्द्र कुमार
कार्यालय नाजिर
दुमका